केन्द्रीय विद्यालय संगठन
शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन स्वायत संस्थान
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
Under Ministry of Education, Govt. of India
मुख्यालय,नई दिल्ली / Head Quarters, New Delhi
website:www.kvsangathan.nic.in
E-mail : jc.pers@kvs.gov.in
दूरभाष /Tel : 91-11-26858565
18 संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली/ 18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg, New Delhi 110 016

फा॰11029-3/2018-केविएस(प्रशासन॰ ।)भाग–॥/1352 **दिनांक:** 10.08.2022

कार्यालय आदेश

केन्द्रीय विद्यालय संगठन के दिनांक 08.03.2019 के समसंख्यक कार्यालय आदेश के द्वारा गृह मंत्रालय / रेलवे / नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए भारत सरकार का अनुमोदन इस शर्त पर संप्रेषित किया गया था कि संबन्धित प्रायोजक प्राधिकरण द्वारा नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने से पहले उस विद्यालय हेतु भूमि की पहचान कर केन्द्रीय विद्यालय संगठन के पक्ष में हस्तांतरित कर दी जाएगी । **केन्द्रीय विद्यालय धर्मपुर , जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश (संसदीय क्षेत्र –हमीरपुर)**, उपरोक्त स्वीकृत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों में से एक है ।

चूंकि प्रायोजक प्राधिकरण ने भूमि का आधिपत्य केन्द्रीय विद्यालय के पक्ष में दे दिया है। अतः निम्नलिखित स्थान पर नागरिक क्षेत्र के अंतर्गत नया केन्द्रीय विद्यालय प्रारंभ करने के लिए तत्काल प्रभाव से आयुक्त महोदय की संस्वीकृति की जानकारी दी जाती है:-

क्रम सं॰	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	निम्न स्थान पर केन्द्रीय विद्यालय संचालित किया जाएगा
1	**केन्द्रीय विद्यालय धर्मपुर , जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश -175040**	**केन्द्रीय विद्यालय धर्मपुर , मार्फत राजकीय प्राथमिक विद्यालय कलस्वई, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश -175040**

उपर्युक्त केन्द्रीय विद्यालय में शिक्षा सत्र 2022-23 के दौरान प्रारम्भ में कक्षा 1 से 5 तक (प्रत्येक कक्षा में एक सेक्शन) संचालित होंगे और इसके पश्चात साध्यता के अनुसार कक्षाओं में वृद्धि होगी।

इस विद्यालय में प्रवेश प्रक्रिया इस आदेश के जारी होने की तिथि से 30 दिन के अंदर पूरी कर ली जाए।

10/08/2022
(पुष्पेंद्र कुमार)
सहायक आयुक्त (प्रशा॰)

वितरण:

1. माननीय शिक्षा मंत्री एवं अध्यक्ष, के.वि.सं के निजी सचिव।
2. सचिव (स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता) शिक्षा मंत्रालय एवं डिप्टी चैयरपर्सन के.वि.सं .के वरिष्ठ पी.पी.एस.
3. संयुक्त सचिव (संस्था) शिक्षा मंत्रालय. एवं उपाध्यक्ष, के.वि.सं. के पी.पी.एस.।

4. आयुक्त, केविसं के निजी सचिव।
5. संयुक्त आयुक्त (प्रशिक्षण°) केविसं को इस अनुरोध के साथ की वे नियमानुसार स्टाफ स्वीकृति आदेश जारी करें।
6. उपायुक्त, केविसं क्षे .का. गुरुग्राम को इस अनुरोध के साथ कि वे संबन्धित प्राधिकारियों से संपर्क कर अन्य सभी ओपचारिकताओं को पूर्ण कर के.वि.को संचालित करें।
7. प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, (शिक्षा) हिमाचल प्रदेश सरकार।
8. डिप्टी कलेक्टर, जिला- मंडी, हिमाचल प्रदेश-175001 को सूचनार्थ।
9. अधीक्षण अभियंता केविसं को उनके नोट संख्या एफ़ 110111/423/2019-केविस (मु)/कार्य दिनांक 08.08.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ।
10. सचिव सीबीएसई, 2 कम्यूनिटी सेंटर, प्रीत विहार, दिल्ली-92
11. सहायक आयुक्त (स्था. I/ स्था. II&III) के.वि.सं को इस अनुरोध के साथ कि वे नियमानुसार स्टाफ की तैनाती करें।
12. केविसं (मु.) के सभी अधिकारी एवं अनुभाग।
13. उपायुक्त, के.वि.सं., सभी संभागीय कार्यालय।
14. निदेशक, के.वि.सं.समस्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण आंचलिक संस्थान।
15. उपायुक्त ई.डी.पी. को के.वि.सं .की वैबसाइट पर अपलोड करने के लिए।
16. अध्यक्ष/सचिव के.वि.सं मान्यता प्राप्त स्टाफ संघ।
17. गार्ड फ़ाइल ।

*****